न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 8/2019
प्रविष्टि दिनांक 27–2–2019

श्रीमति पाना देवी पत्नि श्री मोतीलाल जाति मीणा उम्र 58 साल निवासी सिविल लाईन्स टोंक तह0 व जिला–टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 6–2–2019 अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री केलाश अहलुवालिया अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 27–3–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने आदेश दिनांक 6–2–2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 2192/1 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 2195/1 रकबा 10 बिस्वा किस्म बंजड़ वाके ग्राम बमोर पर अतिकमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल किये जाने व 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस नहीं दिया गया है ओर न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया एंव अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब को पत्रावली पर नही लिया गया है, इससे न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की अवहेल्ना हुई है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि प्रार्थीया व उसके परिवार की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2192/2, 2192/3, 2195/2, 9192/4, 2185/2, 2158/3, 2158/7 अपीलान्ट व उसके परिवार के सदस्यों की आराजियात है, जहॉ पर खसरा नम्बर 2192/1 व 2195/1 पर जानवरों से फसल को बचाने हेतु पुरानी डोल की मरम्मत की गई थी जो अपीलान्ट की खातेदारी

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

तहसीलदार टोंक को आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 3–5–2018 को तहसीलदार टोंक द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसकी पालना में 200 रूपये फीस जमा करवा दी गई थी किन्तु आज तक भूमि का सीमाज्ञान जान बूझ कर नहीं किया गया। ओर अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर परेशान करने की नीयत से पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट करवाकर उक्त कार्यवाही की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है किन्तु अपीलान्टस बावजूद तामिल नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बमोर के खसरा नम्बर 2192/1 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 2195/1 रकबा 10 बिस्वा किस्म बंजड़ पर डोल लगा कर अतिक्रमण कर सरसों की काश्त की है। अपीलान्ट के विरूद्ध सम्वत 2074 में भी धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल की कार्यवाही की गई थी जिसके प्रमाण में सम्वत 2074 रबी की पत्रावली संख्या 905 भी प्रस्तुत की गई है। नायब तहसीलदार टोंक ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए शास्ति कायम कर बेदखली का आदेश पारित किया है। अपीलांट के अपील मीमो से जाहिर है कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 2195/2 का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार टोंक को आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 3–5–2018 को आदेश जारी करने के फलस्वरूप अपीलांट ने आदेश की पालना मे नियमानुसार 200 रूपये फीस जमा करवा दी गई थी,परन्तु आज दिनांक तक भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया। अभिभाषक अपीलांट का यह भी कथन है कि सीमाज्ञान मे अतिक्रमण पाया जाता है तो तत्समय ही अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया जावेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.02.2019 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को स्थगित कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा शास्ति राजकोष में जमा करादें तथा सर्वप्रथम तहसीलदार भूमि का सीमाज्ञान करें, सीमाज्ञान के समय अतिक्रमण पाया जाता है तो पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner